भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3385 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

समुद्री कौशल विकास

†3385. श्री गणेश सिंह :

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजीकृत भारतीय नाविकों की संख्या में वर्ष 2014 से वर्ष-वार कितनी वृद्धि हुई है और सरकार द्वारा भारत को कुशल समुद्री जनशक्ति का अग्रणी वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) पोत निर्माण, पोत मरम्मत और पोत पुनर्चक्रण के लिए देश को वैश्विक केन्द्र के रूप में विकसित करने में क्या प्रगति हुई है और समुद्री विकास निधि की स्थिति, प्रस्तावित पोत निर्माण क्लस्टरों और विशाल पोत निर्माण पार्कों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) समुद्री अमृत काल विज़न 2047 के चार मिलियन सकल टन भार पोत निर्माण क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुद्री शिक्षा, प्रशिक्षण संस्थानों, सिमुलेटरों और प्रमाणन अवसंरचना की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) बाल्टिक एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम काउंसिल (बीआईएमसीओ) तथा इंटरनेशनल चैंबर ऑफ शिपिंग (आईसीएस) *नाविक कार्यबल रिपोर्ट* के अनुसार वर्ष 2015 में विश्व स्तर पर नाविकों में 5.2% हिस्सेदारी के साथ 5वीं रैंक की तुलना में भारत ने वर्ष 2025 में 12.16% हिस्सेदारी के साथ वैश्विक स्तर पर दूसरी रैंक हासिल करके सुधार किया है। सक्रिय भारतीय नाविकों की संख्या में लगभग 176% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो वर्ष 2014 में 1,17,090 से बढ़कर वर्ष 2025 में 3,23,429 हो गई है। इसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार सारणीबद्ध है:

वर्ष	नाविक
2014	117090
2015	126945
2016	143940
2017	154349
2018	208799
2019	234886
2020	224478
2021	205787
2022	250186
2023	285454
2024	307901
2025	323429

सरकार ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीनस्थ निकाय, समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए) के माध्यम से भारत को कुशल समुद्रीय जनशक्ति के अग्रणी वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण पहलें की हैं। उनका विवरण निम्नानुसार है:

i. तटीय तथा गैर-तटीय दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थियों के बीच मैरीटाइम कैरियर को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की इकाइयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में देशव्यापी जागरूकता एवं जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

ii. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को मैरीटाइम प्रशिक्षण संस्थानों (एमटीआई) के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे तकनीकी रूप से योग्य युवाओं के लिए मैरीटाइम क्षेत्र में करियर बनाने का एक सुव्यवस्थित मार्ग उपलब्ध हुआ है। इस पहल के माध्यम से देशभर के आईटीआई को एमटीआई के साथ जोड़ा गया है, जिससे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, मरीन इंजन फिटर, रेफ्रिजरेशन तकनीशियन तथा अन्य इंजीनियरिंग विषयों के विद्यार्थियों को मैरीटाइम प्रशिक्षण प्राप्त कर मर्चेंट नेवी तथा मैरीटाइम क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध हुआ है।

iii. भारतीय नौसेना के अग्निवीरों तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनकी शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण एवं समुद्री सेवा की मान्यता प्रदान करते हुए, आवश्यकतानुसार समायोजी पाठ्यक्रम तथा प्रमाणन के माध्यम से मर्चेंट नेवी में बदलाव हेतु एक सुव्यवस्थित रूपरेखा तैयार की गई है। यह पहल प्रशिक्षित एवं अनुभवी रक्षा कार्मिकों को वाणिज्य नौवहन क्षेत्र में निर्बाध रूप से शामिल किए जाने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे भारत में अत्यधिक कुशल मैरीटाइम पेशेवरों के समूह में वृद्धि होती है।

iv. मैरीटाइम प्रशिक्षण, प्रमाणन, परीक्षाओं, पोत पंजीकरण, सांविधिक अनुमोदनों, अनुज्ञप्ति तथा अन्य हितधारक सेवाओं को समाहित करते हुए एक व्यापक कागजरहित ई-शासन पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराने के लिए ई-समुद्र डिजिटल प्लेटफॉर्म का परिचालन प्रारंभ किया गया है। यह प्लेटफॉर्म सेवा प्रदायगी को सुव्यवस्थित करेगा, पारदर्शिता में सुधार करेगा, प्रसंस्करण समय को कम करेगा तथा मैरीटाइम शिक्षा, प्रशिक्षण एवं प्रमाणन के प्रशासन को सुदृढ़ करते हुए व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देगा।

(ख) घरेलू क्षमता, मैरीटाइम वित्तपोषण, शिपयार्डों के विकास, कौशल विकास तथा सुधारों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा 69,725 करोड़ रुपये के व्यापक पोत निर्माण पैकेज का अनुमोदन किया गया है। इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

i. भारतीय शिपयार्डों द्वारा विदेशी शिपयार्डों की तुलना में सामना किए जाने वाले लागत संबंधी प्रतिकूलताओं को दूर करने तथा योजना के दायरे का विस्तार करने के लिए 24,736 करोड़ रुपये की पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएएस)।

ii. क्षेत्र में दीर्घकालिक वित्तपोषण को सुदृढ़ करने के लिए 25,000 करोड़ रुपये के मैरीटाइम विकास निधि (एमडीएफ) का गठन किया गया है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपये का मैरीटाइम निवेश निधि (एमआईएफ) तथा 5,000 करोड़ रुपये का ब्याज प्रोत्साहन निधि शामिल है। एमआईएफ के लिए एसबीआई वेंचर्स लिमिटेड को निधि प्रबंधक नियुक्त किया गया है।

iii. ग्रीनफील्ड पोत निर्माण क्लस्टरों को सहायता प्रदान करने के साथ-साथ वार्षिक 4.5 मिलियन सकल टन भार तक क्षमता विस्तार करने के उद्देश्य से 19,989 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस)।

भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पोत निर्माण संबंधी योजनाओं, यथा पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएएस) तथा पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक अंतर-मंत्रालयी निकाय के रूप में राष्ट्रीय पोत निर्माण

मिशन (एनएसबीएम) की स्थापना नोडल एजेंसी के रूप में की गई है। पोत निर्माण विकास योजना के अंतर्गत एनएसबीएम द्वारा मूल्यांकन किए जाने के उपरांत, आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा तमिलनाडु में ग्रीनफील्ड पोत निर्माण क्लस्टरों के विकास हेतु प्रस्तावों के साथ-साथ विभिन्न मौजूदा शिपयार्डों की क्षमता विस्तार से संबंधित तीन ब्राउनफील्ड परियोजनाओं को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

पोत पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने यार्डों के आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करने हेतु लौह स्क्रैप विकास निधि (एफएसडीएफ) के अंतर्गत 109 भारतीय पोत पुनर्चक्रण यार्डों को 53.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की है। गुजरात के अलंग में बहु-विशिष्टता अस्पताल के विकास एवं संचालन के लिए एफएसडीएफ से 2.49 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की सहायता जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, गुजरात के अलंग में एक अन्य प्राथमिक अस्पताल के रखरखाव एवं संचालन के लिए भी एफएसडीएफ के अंतर्गत 12 लाख रुपये प्रतिवर्ष की सहायता जारी की जाती है। इन उपायों के परिणामस्वरूप यार्डों को हांगकांग कन्वेंशन (एचकेसी) के अनुपालन योग्य बनाया जा सका है तथा वर्तमान में अलंग स्थित 115 परिचालनरत पोत पुनर्चक्रण यार्ड एचकेसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। एचकेसी के अनुपालन से भारत को वैश्विक पोत परिवहन बेड़े के लिए भारतीय पोत पुनर्चक्रण यार्डों को सुरक्षित, प्रमाणित एवं पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी गंतव्यों के रूप में स्थापित करते हुए वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने पोतभंजन हेतु क्रेडिट नोट योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत जब किसी पोत का पुनर्चक्रण एचकेसी के अनुरूप भारतीय पोत पुनर्चक्रण यार्ड में किया जाता है, तो पोत-स्वामियों को पुनर्चक्रित पोत के स्क्रैप मूल्य के 40% के समतुल्य क्रेडिट नोट प्रदान किया जाता है। इस क्रेडिट नोट का उपयोग भारतीय शिपयार्ड में निर्मित नए पोत के मूल्य के अधिकतम 5% तक के भुगतान के लिए किया जा सकता है, जिससे घरेलू पोत पुनर्चक्रण एवं पोत निर्माण, दोनों को बढ़ावा मिलता है।

(ग) भारत ने मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के भावी मानव संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से एक व्यापक मैरीटाइम शिक्षा, प्रशिक्षण एवं प्रमाणन तंत्र विकसित किया है। वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र में 176 मैरीटाइम प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई) शामिल हैं, जिनमें 81 समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण संस्थान तथा 95 समुद्र-पश्च प्रशिक्षण संस्थान सम्मिलित हैं, जो अधिकारी एवं रेटिंग वर्ग के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। समुद्र-पूर्व पाठ्यक्रमों में स्वीकृत वार्षिक प्रवेश क्षमता 23,717 अभ्यर्थियों तथा समुद्र-पश्च पाठ्यक्रमों में 22,264 अभ्यर्थियों की है।

भारत में डीजीएमए द्वारा अनुमोदित मैरीटाइम प्रशिक्षण संस्थानों में एक सुस्थापित सिम्युलेटर प्रशिक्षण तंत्र भी विद्यमान है, जिसके अंतर्गत देशभर में 20 सिम्युलेटर आधारित पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं में फुल मिशन ब्रिज सिम्युलेटर, फुल मिशन इंजन रूम सिम्युलेटर, रडार/एआरपीए, ईसीडीआईएस, जीएमडीएसएस, तरल माल हैंडलिंग, एलएनजी/एलपीजी तथा पोत संचालन सिम्युलेटर जैसी सुविधाएँ शामिल हैं, जो प्रशिक्षुओं को नियंत्रित वातावरण में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं। वर्ष 2020 से 2025 के बीच, 1.15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने विभिन्न सिम्युलेटर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो सिम्युलेटर आधारित दक्षता विकास के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, कौशल विकास के लिए की गई पहलों का विवरण निम्नानुसार है:

- आईटीआई प्रशिक्षुओं के लिए शिपयार्डों में 150 घंटे के ओजेटी मॉडल की शुरुआत की गई है तथा इसके अंतर्गत अब तक इन शिपयार्डों में 727 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीटाइम शिपबिल्डिंग (सीईएमएस) द्वारा पश्चिम बंगाल के 2 आईटीआई में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण टीओटी कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया है।
- 9 शिपयार्डों में प्रारंभिक कौशल अंतराल अध्ययन पूरा कर लिया गया है।
- कौशल को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय पोत प्रोद्योगिकी केन्द्र (आईएसटीसी) को 'सेक्शन 8 कंपनी' के तौर पर स्थापित किया गया है।
- पिछले 3 वर्षों के दौरान कुल 92,697 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित, कुशल एवं कौशल-उन्नत किया गया है। संस्थान-वार कौशल विकास में हुई विस्तृत प्रगति का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

अनुबंध-I

कर्मचारियों का प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन

क्र.सं.	**संगठन**	**कर्मचारियों की संख्या (2023-24 में कुशल/कौशल-उन्नत)**	**कर्मचारियों की संख्या (2024-25 में कुशल/ कौशल-उन्नत)**	**कर्मचारियों की संख्या (2025-26 में कुशल/ कौशल-उन्नत)**
1	कामराजर पोर्ट लिमिटेड	36	60	44
2	मुरगांव पत्तन प्राधिकरण	589	828	499
3	चेन्नै पत्तन प्राधिकरण	528	857	679
4	विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण	2781	3525	2975
5	कोचिन पत्तन प्राधिकरण	290	302	340
6	मुंबई पत्तन प्राधिकरण	1294	1300	1168
7	जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण	619	477	574
8	राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान और समुद्री कौशल विकास परिषद	2288	1697	2406
	कुल	**6137**	**7349**	**6279**

नए प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण और कौशल विकास

क्र.सं.	**संगठन**	**प्रशिक्षुओं की संख्या (2023-24 में प्रशिक्षित)**	**प्रशिक्षुओं की संख्या (2024-25 में प्रशिक्षित)**	**प्रशिक्षुओं की संख्या (2025-26 में प्रशिक्षित)**
1	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	655	571	1090
2	जेएनपीए बहु कौशल विकास केन्द्र	663	970	792
3	इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (आईआरक्लास)	811	1207	1399
4	एनटीसीपीडब्ल्यूसी (आईआईटी मद्रास)	45	60	68
5	नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) (संबद्ध संस्थानों के माध्यम से)	16,310	17,820	18,414
6	सीईएमएस(महापत्तनों को छोड़कर)	2479	3257	4968
7	महापत्तनों (सीईएमएस के माध्यम से)	175	300	433
8	आईएमयू (सीजीएसएससी सहायता के साथ)	-	-	445
	कुल	**21,138**	**24,185**	**27,609**

शिपयार्ड में ओजेटी प्रशिक्षु

शिपयार्ड	**ओजेटी प्रशिक्षु**
कोचीन शिपयार्ड (सीएसएल)	100
स्वान रक्षा (एसडीएचआईएल)	230
गोवा शिपयार्ड (जीएसएल)	22
हुगली कोचीन (एचसीएसएल)	60
मझगांव डॉक (एमडीएल)	57
गार्डन रीच (जीआरएसई)	193
टिटागढ़ नेवल सिस्टम	65
कुल	**727**
